पत्र प्राप्ति... दि० 28/11/19
डायरी सं० 332 ...कम्प्यूट्राईजेशन खण्ड
दिनांक 28/11/19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

सामान्य वर्ग

पत्रॉक–17105 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54 एम–19/2013 दिनॉक 21-11-2019

कार्यालय–ज्ञाप

श्री चौधरी उबैद अहमद पुत्र श्री शाहिद अहमद निवासी–नई बस्ती, उत्तर टोला बंकी, जिला बाराबंकी का पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रॉक–284एम0टी0/सामान्य वर्ग/54 एम–19/13 दिनॉक 10.01.2013 तथा अन्तिम नवीनीकरण पत्रॉक–6513एम0टी0/सामान्य वर्ग/54 एम–19/13 दिनॉक 09.07.2015 द्वारा मार्ग कार्य हेतु श्रेणी "ए" में दिनॉक 30.06.2018 तक के लिये किया गया था। वर्तमान में इसकी वैधता दिनांक–30.06.2018 को समाप्त हो चुकी है।

जनपद उन्नाव में कोर रोड नेटवर्क की योजना के अन्तर्गत राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान संख्या–58 लेखा शीर्षक–5054 में पुरवा पाटन मार्ग (अ0जि0मा0) के सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 15.800 किमी) का अनुबन्ध संख्या–113/एस0ई0(पीडीयू)–उ0वृ0/2016–17 दिनॉक 03.01.2017 धनराशि रू0 44166277.54 का अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त लो0नि0वि0 उन्नाव एवं श्री चौधरी उबैद अहमद पुत्र श्री शाहिद अहमद निवासी–नई बस्ती, उत्तर टोला बंकी, जिला बाराबंकी के मध्य गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 03.01.2017 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 02.07.2017 थी।

इस अनुबन्ध के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा कार्य मानक विशिष्टियों के अनुसार न कराये जाने के तथ्य अनुबन्ध के इन्जीनियर द्वारा इम्प्लायर (अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त लो0नि0वि0 उन्नाव) के संज्ञान में लाने पर अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त के पत्राक 1375 कैश/11 सी–उ0वृ/17 दि0 20.04.2017 एवं पत्र संख्या 1813 कैश/1सी–उ0वृ/17 दिनॉक 01.05.2017 द्वारा कारण बताओं नोटिस/निर्देश निर्गत किये गये। कार्य का निरीक्षण एस0एल0सी0 द्वारा दिनॉक 19.05.2017 को किया गया। एस0एल0सी0 चेकिंग में कार्य अधोमानक पाया गया, जिस पर पुनः अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या 2407/05 कैम्प (नि0टि0) उ0वृ0/17 दिनॉक 29.05.2017 द्वारा अधोमानक कार्य के बारे में ठेकेदार श्री चौधरी उबैद अहमद का ध्यान आकृष्ट किया गया।

अनुबन्ध सं0–113/एसई(पी.डी.यू.)–उ.वृ./16–17 दिनांक 03.01.2017 की कार्यो की चेकिंग एस0एल0 सी0 के सदस्य इं0 श्रीपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रथम चेकिंग चैनेज 7.700 किमी0 एवं द्वितीय चेकिंग चैनज 9.600 पर की गई जिसमें पाया गया कि ठेकेदार द्वारा इन स्थलो पर पी0सी0 का कार्य बिना क्रस्ट पूरा किये ही करा दिया गया है। इस चैनेजो पर पी0सी0 को छोड़ते हुए 130 एम0एम0 क्रस्ट पाई गई, जबकि मानक के अनुसार जी–2 एवं जी–3 को मिलाकर कुल क्रस्ट 225 एम0एम0 वांछित है। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा किमी0 8 में 500 मी0, किमी0 9 एवं 10 में पूरी 2.5 कि0मी0 लम्बाई में बिना क्रस्ट पूरा किये पी0सी0 कर दी गई है।

इं0 श्रीपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0 उन्नाव द्वारा निरीक्षण टिप्पणी दिनांक–19.05.2017 को उपरोक्तानुसार उक्त कार्य की कमियों तथा अधोमानक स्थिति को उल्लिखित करते हुए यह भी निर्देश निर्गत किये कि मार्ग पर किमी0 8 (500), 9, 10 में पूरी लम्बाई में बिना क्रस्ट के पूरे किये गये पी0सी0 के कार्य को रिजेक्ट (निरस्त) किया जाता है।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि किमी0 8 (500), 9, (2)10 में कराये गये पी0सी0 के कार्य को उखड़वाया जाये, तथा किलोमीटरों में आगणन में प्राविधान के अनुसार 225 एम0एम0 की क्रस्ट पूरी कराये तथा उसकी जांच के उपरान्त ही पी0सी0 के कार्य की अनुमति दी जाये। अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव के पत्रांक 1375 कैश/11 सी–उ0वृ0/17 दिनांक 20.04.2017 द्वारा कार्य में इंगित कमियों को उल्लिखित करते हुए अधोमानक कार्य को ठीक करने एवं कार्य को अनुबन्धित अवधि में पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को नोटिस दी गई थी। एस0एल0सी0 की चेकिंग दिनांक 19.05.2017 दौरान कार्य को अधोमानक पाये जाने पर पुनः अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त, उन्नाव ने अपने पत्रांक 2407/05 कैम्प (नि0टि0)– उ0वृ0/17 दिनांक– 29.05.2017 अधोमानक कार्य के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए ठेकेदार को नोटिस निर्गत किया गया। ठेकेदार मेसर्स चौधरी उबैद अहमद को नोटिस निर्गत करते हुए यह निर्देश दिये गये 15 दिवस के अन्तर्गत स्पष्ट करें कि उक्त अपकृत्य के लिये शासनादेश सं0–2365/एम.एस./27पी.डब्लू.–41एम.एस./1954 दिनांक 24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता,

श्री सुनील अरोरा

अतः शासनादेश संख्या 2365/एमएस/23–पी0डब्ल्यू0–41 एम0एस0/1954 दिनॉक 24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता ,उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या–362 एम टी जी/70 एफ–68 दिनॉक 08.10. 1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) एवं उपयुर्क्त पंजीकरण सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या 4127 एम0एस0/23 सा0नि0अनु (7) दि0 02.12.1974 के अन्तर्गत एवं मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र के पत्र संख्या–1482 सी0जेड0/10सी0जेड0–लेखा/2017 दि0–30.03.19 एंव पत्र संख्या–2505सी0जेड0/10सी0जेड0–लेखा/2017 दि0–21.09.2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या संस्तुति के आधार पर श्री चौधरी उबैद अहमद ,निवासी नई बस्ती उत्तर टोला बंकी, जिला– बाराबंकी को उक्त अनुबन्ध की शर्तो के उल्लघन एवं धोखाधड़ी का दोषी पाये जाने के कारण **तत्काल प्रभाव से पॉच वर्षो के लिए काली सूची** (**Biack list**) में डाले जाने के आदेश एतदद्वारा पारित किये जाते हे।

ह0/–

(सुरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 वि0, उ0प्र0 एवं मुख्य अभियन्ता, विश्व बैक, राष्ट्रीय मार्ग, पी0 एम0 जी0एस0वाई, सेतु/वाह्रय सहयातित इण्डो नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं/ अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्यअधीक्षको को उपलब्ध कराये।
2. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, मदनमोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0नि0वि0, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र दिनॉक 21.09.2019 के सन्दर्भ में ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त लो0नि0वि0 उन्नाव ।
6. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमती नगर लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, लो0नि0वि0 लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण, सेंवा विभाग, जवाहर भवन , लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0नि0 उन्नाव को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे ठेकेदार श्री चौधरी उवैद अहमद ,निवासी नई बस्ती उत्तर टोला बंकी, जिला बाराबंकी को तामील कराकर उसकी पावती इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
   संलग्नक उपरोक्तानुसार
10. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराईज्ड खण्ड लो0नि0वि0 लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब–साईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
11. **पंजीकृत–** श्री चौधरी उबैद अहमद पुत्र श्री शाहिद अहमद निवासी–नई बस्ती, उत्तर टोला बंकी, जिला बाराबंकी ।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0, लखनऊ